

कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुंद (छत्तीसगढ़)

// विज्ञापन //

क्रमांक 848 /क/वित्त-स्था./ 2012,

महासमुंद, दिनांक 15 फरवरी, 2012

छत्तीसगढ़ भासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदे" 1 क्रमांक एफ-2-224/सात-2/2008, दिनांक 8 मार्च, 2010 के द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत महासमुंद जिले के लिए जिला कार्यालय व अधीनस्थ तहसीलों, उप तहसीलों में रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने की दी गयी अनुमति के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी उम्मीदवारों से नीचे तालिका मे द" गए विवरण के अनुसार रिक्त पदों के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र दिनांक 29.02.2012 तक कार्यालयीन अवधि में आमंत्रित किए जाते हैं:-

(1) स्टेनो टायपिस्ट. पुनरीक्षित वेतन बैंड 5200-20200+G.P.1900

क्र.	विवरण.	अ.जा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित	योग.
1	कुल संख्या.	01.	01.	01..	02.	05.
2.	महिला.	-	-	-	01.	01.
3.	मुक्त.	01.	01.	01.	01.	04.
4.	योग.	01	01	01	02.	05.

भौक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं:-

- 1- मान्यता प्राप्त 1¹ाक्षा मण्डल/वि" वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.
- 2- मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 भाब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी भीष्मलेखन में 60 भाब्द प्रति मिनट की गति.
- 3- मान्यता प्राप्त संस्था से डाँटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 5,000 की (Key) डिप्रे" इन प्रति घंटा की गति होना चाहिए.

(2) सहायक ग्रेड-3. पुनरीक्षित वेतन बैंड 5200-20200+G.P.1900

क्र.	विवरण.	अ.जा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित	योग.
1.	कुल संख्या.	02.	03.	01.	07.	13.
2.	महिला.	01.	01.	-	02.	04.
3.	मुक्त.	-	02.	01.	04.	07.
4.	विकलांग.	01.	-	-	-	01.
5.	भूसैनिक	-	-	-	01.	01.
6.	योग.	02.	03.	01.	07.	13.

भौक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं:-

- 1- मान्यता प्राप्त 1¹ाक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.
- 2- मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र
- 3- कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रे" इन प्रति घंटा की गति होना चाहिए.

(3) निर्धारित आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ भासन, सामान्य प्र" ासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्दे" गों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

- 1- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ भासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी.
- 2- ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

- 3- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु वि" शेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- 4- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाक" जुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- 5- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर "ग्रीनकार्ड" धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 6- आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्र" ासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 7- राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित " " हीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 8- विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 9- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।
- 10- छ.ग.भासन, सामान्य प्र" ासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ3-2/2002/1-3, दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को भासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयुसीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप:- (1) छत्तीसगढ़ भासन, सामान्य प्र" ासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3, दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किए गए निर्दे" 1 के पैरा (3) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य वि" शेष वर्ग जैसे-छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य भासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी, तथा सामान्य प्र" ासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्दे" 1 के आधार पर उममीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद भासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (2) आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 के संदर्भ में की जाएगी।

(4) आवेदन पत्र भरने संबंधी भार्ते/निर्दे" 1/जानकारी:-

- 1- आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
- 2- आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- 3- आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आव" यक है।
- 4- आवेदन पत्र में नियत स्थान पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें।
- 5- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ भौक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आव" यक होगा।
- 6- आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 29.02.2012 तक "कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद (छ.ग.) Pin Code 495445" के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा हाथों-हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एवं भार्ते के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7- विज्ञप्ति जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के प" चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 8- उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी-वृद्धि की जा सकती है।
- 9- प्रत्येक पद हेतु आवेदन पृथक-पृथक प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम तथा आवेदक का नाम व पता अव" य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/- रू.

का डाक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9'×4' के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

- 11- आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दी गई "जांच" यक भौक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त भातों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।
- 12- ऐसे अभ्यर्थी जो भासकीय अथवा अर्द्ध भासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13- किसी भी प्रवर्ग के महिला अभ्यर्थी न होने की दशा में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से पद की पूर्ति की जावेगी।
- 14- प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन पत्रानुसार प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सूचना दी जावेगी, उस संबंध में किये गये यात्रा हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 15- चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 16- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- 17- छ.ग.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य भातें) नियम, 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।
- 18- विज्ञप्ति में उल्लेखित भातें/निर्देश 1/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार "कलेक्टर, जिला महासमुंद" का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
- 19- विज्ञप्ति से संबंधित जानकारी जिला कार्यालय की वेबसाइट [http:// mahasamund.Gov.in](http://mahasamund.Gov.in) में देखी जा सकती है।

(5) नियुक्ति के लिए अपात्रता:-

- 1- कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- 2- कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) चयन प्रक्रिया:-

उपरोक्त पदों के लिए उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात् अर्हताधारी उम्मीदवारों की दक्षता/कौशल अर्थात् प्रायोगिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित भौक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर आवेदनों की भाट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 5 गुना उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर कम्प्यूटर टायपिंग व डिक्टे"शन की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। तदुपरांत भौक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक व प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जावेगी।

कलेक्टर
महासमुंद